कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– मान0 665 / 121 गोपेश्वर, दिनांक 04/08/ 2022

क्रम सं0 3611
पत्रावली सं0 23 LA
दिनांक 06/08/22

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
गोपेश्वर।

विषयः– एन0पी0वी0 की संशोधित धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 1657/1–41(IV), दिनांक 07/01/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणें में एन0पी0वी0 की दरों में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड नई दिल्ली के फाईल सं0 5–3/2011–**FC(Vol-I),** दिनांक 19–01–2022 (प्रति संलग्न) को पुर्ननिर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

पुर्ननिर्धारित एन0पी0वी0 की दरों के लागू होने की तिथि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के (**Forest Consevation Division**) के फाइल न0 5–3/2011–**FC(Vol-I),** दिनांक 19–01–2022 द्वारा निर्गत् शासनादेश के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर निम्न प्रकरणों में लागू होंगे–

1:– ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2(**II**) के तहत दिनांक 06/01/2022 के पश्चात् प्राप्त हुए हो।

2:– ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2(**II**) के अन्तर्गत् 05 वर्ष से अधिक पूर्व अर्थात् दिनांक 06/01/2017 से पूर्व प्राप्त हुयी हो, परन्तु **Stage-II** का अनुमोदन दिनांक 06/01/2022 तक अप्राप्त हो।

आपके कार्यालय के निम्न वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, जो उक्त संशोधित एन0पी0वी0 दरों की परिधि में आच्छादित हैं के क्रम में उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किया जाना अपेक्षित है।

क0सं0	**परियोजना का नाम**	**सैद्धान्तिक स्वीकृति का दिनांक**	**पूर्व की दरों के अनुसारं जमा की गई एन0पी0वी0 की धनराशि**	**वर्तमान दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि निम्नानुसार जमा किया जाना है**
1	जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री– विजराकोट–स्वींग–कोठागधार –नोरी बौला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।	15-03-2016	3.15x 6,57,000.00 = 20,69,550.00	3.15x 10,05,210.00 = 31,66,411.00 (अवशेष धनराशि)= **10,96,861.00**
2	जनपद चमोली के अन्तर्गत मासों काफलखेत दादड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.768 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।	13-06-2016	2.768 x 6,57,000.00 = 18,18,576.00	2.768 x 10,05,210.00 = 27,82,421.00 (अवशेष धनराशि)= **9,63,845.00**
3	जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर मन्दिर मार्ग से वैतरणी सिरोखुमा सिटुणा – वैरागना तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।	16-09-2016	4 x8,45,000.00 = 33,80,000.00	4 x12,92,850 = 51,71,400.00 (अवशेष धनराशि)= **17,91,400.00**

अतः उक्तानुसार एन0पी0वी की अवशेष धनराशि शीघ्र जमा करने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रस्तावों में यथाशीघ्र विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

वन भूमि सहायक

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।